

न्यायालय तहसीलदार बाडी (धौलपुर) राज०

नु० 94/2018

निर्णय दिनांक 19/02/2018

उनवान :- सरकार बनाम मानसिंह वगै.

अज्ञात पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलैमाबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नंबर 487 रकवा 01 बीघा व आ.ख.नं. 488 रकवा 3.00 बीघा कुल रकवा 04.00 बीघा किस्म चारागाह वाके ग्राम आदमपुर पर श्री मानसिंह, लक्ष्मीनारायन, जगनसिंह पि. हीरालाल जाति लोधा निवासी आदमपुर तहसील बाडी ने सम्वत 2074 रबी में फसल गोहू 1 बीघा पर गोहूं व 3.00 बीघा पर सरसों कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया अतिक्रमी उपस्थित आये।

पटवारी हल्का ने उपस्थित होकर अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी मानसिंह, लक्ष्मीनारायन, जगनसिंह पि. हीरालाल जाति लोधा निवासी आदमपुर ने पूर्व दिनांक 12.02.2018 को गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जबाव में संलग्न फोटो प्रति दर्जावेज अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशिका दिनांक 19.05.2015 में विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की मौजूद स्थिति को उभय पक्ष यथावत कायम रखेंगे के आदेश है। उपरोक्त आदेश के बावजूद गैर सायलान ने आ.ख.नं. 487, 488 पर नाजायज कब्जा करके संवत 2074 फसल रबी में अतिक्रमण किया जिसकी पटवारी हल्का निरीक्षक ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत की उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश का उल्लंघन किया है। अतः गैर सायलान को बेदखल कर लगान का 50 गुना शास्ती राशि 900.00 (शब्देन नौ सौ रूपये) पेनल्टी आरोपित कर तथा फसल नीलामी कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. नि. को लिखा जावे। T.R.A. को मताबला कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

फैसला आज दिनांक 19.02.2018 को खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया।

900 - का अकन
राशि राशि
पत्रिका के पृष्ठ कर्मांक
की कस भयां पर भिन्न तथा है।
दिनांक 18/2/18
तहसीलदार बाडी

पुष्प
तहसीलदार
बाडी
तहसील बाडी (धौलपुर) राज